

वन विभाग

विविध

10 फरवरी, 1960

संख्या- 1115/XIV - 331-50 उत्तरप्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 (एक्ट - XVI/ 1927) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उप धारा के प्रतिबन्धक द्वारा और उपर्युक्त एक्ट की धारा- 80 ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने तक उक्त एक्ट के अध्याय 4 के उपलब्ध संलग्न अनूसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

जिला	मार्ग का नाम	दूरी मील, फलांग व फीट में	विवरण
जौनपुर	1 लखनऊ बनारस रोड	165 से 176 तक	भूमि का सीमा पथ
	2 बादशाहपुर रेलवे फील्डर रोड	0 से 2 फलांग 545 फीट	द्वारा अंकित की गई
	3 लाइन बाजार नईगंज बाईपास रोड	1 मील 3 फलांग 266 फीट तक है।	
	4 मिर्जापुर जौनपुर रोड	25 मील 1 फलांग 177 फीट तक	- -
	5 लखनऊ बलिया रोड	18 मील 1 फलांग 135 फीट तक	- -
	6 जौनपुर शाहगंज अकबरपुर	21 मील 1 फलांग 447 फीट तक	- -
	7 इलाहाबाद गोरखपुर रोड	9 मील 1 फलांग 491 फीट तक	- -
	8 मछलीशहर-जंघई रोड	12 मील 1 फलांग 1 फीट तक	- -
	9 जौनपुर प्रतापगढ़ रोड	24 से 27 मील 6 फलांग 520 फीट	- -
	10 लालसराय दीदारगंज रोड	0 से 6 मील 5 फलांग 150 फीट	- -
	11 अगबरपुर मुदूठीगंज रोड	1 मील 3 फलांग 440 फीट	- -
	12 शाहगंज तिकोलिया रोड	0 से 7 मील 3 फलांग 280 फीट	- -
	13 मौनपुर रेलवे स्टेशन मार्ग	0 से 60 फलांग 280 फीट	- -
	14 मौनपुर फाड़ा सी०सी० फफरा	5 फलांग 73 फीट से 9 फलांग 20 फीट तक	- -
	15 सराय	0 से 4 मील 4 फलांग 591 फीट	- -
	16 लिंग रोड	0 से 2 फलांग 121 फीट तक	- -
	17 रेलवे फिडर रोड	0 से 14 फलांग 447 फीट तक	- -
	18 बनारस आजमगढ़ रोड	0 से 23 मील 1 फलांग 40 फीट	- -
बाराणसी	1 बनारस बलिया रोड	मील 1 से मील 5 तक	- -
	2 सारनाथ रोड	1 मील 2 फलांग तक	- -
गोरखपुर	1 बनारस बलिया रोड	20 से 4 मील तक	- -
	2 गाजीपुर-गोरखपुर रोड	65 से 85 मील तक	- -
	3 बनारस बलिया रोड	47 से 70 मील तक	- -
	4 मुगहरा आड़ रोड	1 से 2 (फलांग 2) तक	- -

IM (Tech) cum Project Director
NHAI, P.O. Box 10, Azamgarh
National Highway Development
P.O. Box 10, Azamgarh
PIU-Azamgarh

5. मुहम्मदाबाद कासिमाबाद रोड	5 से 14 मील तक	- " -
6. सादीपुर दोपारी रोड	1 से 4 1/2 मील तक	- " -
7. गोमती ब्रिज रोड	3 से 7 मील 4 फलांग तक	- " -
8. अपठनीय रोड		- " -
9. बहरिया गाजीपुर रोड	15 से 32 मील तक	- " -
10. मिर्जापुर रोबटगंज रोड	1 से 27 मील तक	- " -
11. नरायणपुर मैरोरा रोड	1 से 13 मील तक	- " -
12. जी०टी० रोड	423 से 477 मील तक	- " -
13. मिर्जापुर रीबा रोड	1 से 43 मील तक	- " -
14. मिर्जापुर रोड	1 से 6 मील तक	- " -

25 जनवरी 1979

संख्या- 8109/घौदह- 2-503-77 भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा- 29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या बंजर भूमि की पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हों, या नहीं, सरक्षित वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय-4 धारा-68 के उपबन्ध लागू होंगे।

अनुसूची

पट्टी का नाम

विवरण और स्थिति

रेलवे

प्रबन्ध के लिये वन विभाग को अन्तरिम पूर्वोत्तर रेलवे के निम्नलिखित सेक्शन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन बार्ड से लगी हुई भूमि।

वाराणसी मण्डल

- 1 भटनी से गोरखपुर छावनी
- ✓ 2 भटनी से वाराणसी।
- 3 वाराणसी से इलाहाबाद सीटी।
- 4 वाराणसी से इलाहाबाद सीटी
- 5 गोरखपुर से छावनी से तिनफूरिया (हाल्ट लूप)
- ✓ 6 औडिहार जंक्शन से बकुलहा
- 7 छितौनी से कप्तानगंज
- 8 सलैमपुर से बरहज बाजार
- 9 इन्दारा से दोहरीघाट
- 10 भऊ जंक्शन से शाहगंज
- ✓ 11 फेफना से इन्दारा
- 12 औडिहार से जौनपुर
- 13 बाधोरा से चिल्ला

प्रबन्ध योजना

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया

(वर्ष : 2009-10 से 2018-19 तक)

भाग - 1, 2 व परिशिष्ट



श्री वी०के० सिन्हा, भा०व०से०

मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देशन में

श्री गणेश एस० भट्ट, भा०व०से०

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया

द्वारा संकलित

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया